प्रेस विज्ञप्ति

10 नवंबर, 2016

रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक, हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट की ''संवैधानिक पीठ'' के SYL पर दिए निर्णय को लेकर निम्नलिखित बयान जारी किया :–

SYL पर निर्णय ऐतेहासिक – किसानों का संघर्ष जीता

मोदी सरकार जिम्मेदारी निभाए – न्याय की कसौटी पर खरी उतरे

सतलुज–यमुना लिंक नहर हरियाणा के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। SYL के नीले पानी पर हरियाणा के कानूनी व संवैधानिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय खंड पीठ ने एक ऐतेहासिक निर्णय में अपनी मुहर लगा दी। हरियाणा के किसानों व कांग्रेस पार्टी का संघर्ष रंग लाया तथा न्याय व सच्चाई की जीत हुई। इस ऐतेहासिक फैसले का हम कोटि–कोटि स्वागत करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो पंजाब के हिस्से में SYL का निर्माण करवाए तथा हरियाणा को पानी का अधिकार दिलवाए। आज गेंद प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी के पाले में है। केंद्र में भाजपा की सरकार है। पंजाब में भाजपा–अकाली दल की सांझी सरकार है व हरियाणा में भाजपा की सरकार है। संविधान की अनुपालना करने, कानून को लागू करने व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी मोदी जी की है। न्याय की कसौटी पर भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री को खरा उतरना है। संविधान व कानून के प्रति जवाबदेही के अपने कर्तव्य को प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकारों को पूरा करना है। 2.5 करोड़ से अधिक हरियाणावासी भीख नहीं अपना अधिकार मांग रहे हैं। समय आ गया है कि मोदी सरकार न केवल अपनी संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करे, बल्कि देश व हरियाणा की जनता ने जो जनमत भाजपा को दिया है, उसकी कसौटी पर भी खरा उतरे।